

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-F21/NRHM/JSY/06/366

दिनांक:-23.11.06

जननी सुरक्षा योजना राज्य में सितम्बर 2005 से प्रभावी हुई जिसमें केवल बी.पी.एल. परिवार की प्रसूताएँ ही लाभान्वित हो रही थी। स्वास्थ्य निदेशालय के पत्र क्रमांक F21/RCH/JSY/2006/89 दिनांक 21.8.06 के अनुसार लाभान्वितों का दायरा बढ़ाकर उसमें सभी वर्ग की प्रसूता महिलाओं को लाभान्वित किया गया एवं उम्र और बच्चों की संख्या सम्बंधी सभी अहताएं समाप्त कर दी गई। नये दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान दिनांक 24.11.2006 से प्रभावी माने जावें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये नवीनतम दिशा निर्देशों के फलस्वरूप सभी लाभान्वितों का पैकेज इस प्रकार रहेगा।

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी गर्भवती महिलाओं को रु. 1400/- एवं रु. 1000/- प्रसव पश्चात सरकारी संस्थान पर देय होगे।
2. घरेलू प्रसव का वित्तिय लाभ ग्रामीण एवं शहरी केवल बी.पी.एल.कार्डधारी प्रसूताओं को ही देय होगा। प्रमाणित गरीब को लाभ देय नहीं होगा।
3. रेफरल परिवहन सुविधा सभी वर्गों की ग्रामीण कार्डधारी प्रसूताओं को देय होगी किन्तु उसे जच्चा बच्चा / जसुयों कार्ड आवश्यक रूप से दिखाना होगा।
4. आशा सहयोगिनी प्रसवपूर्व/ प्रसवकाल/प्रसवोत्तर सेवायें देने के साथ रेफरल परिवहन सुविधा का अग्रिम तौर प्रबन्ध करेगी जिसके लिए रु. 600/- का प्रावधान योजना में किया गया है। यह राशि दो किश्तों में देय होगी।
5. किसी भी कारणवश प्रसूता माता प्रसव हेतु सरकारी संस्थान पर सीधे ही चली जाती है तो भी प्रसूता को रु. 300/- सरकारी संस्थान पर ही देय होगे।
6. स्वास्थ्य निदेशालय के उपरोक्त अंकित पत्र के अनुसार वित्तिय लाभ से वचित रही प्रसूता महिलाएँ संस्थागत प्रसवों का उस समयावधि में पूर्ववर्ति प्रभाव से लाभ उठा रही हैं। पूर्व प्रभाव से दिया जा रहा ग्रामीण एवं शहरी प्रसूताओं को यह लाभ दिनांक 31.12.2006 तक ही देय होगा। तत्पश्चात किसी भी प्रसूता को यह लाभ देय नहीं होगा।

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीन जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इसे प्रचारित करावें।

विस्तृत एवं संशोधित दिशानिर्देश पत्र संलग्न है।

राज्य नोडल अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार
- 2 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव(प.क.)एवं मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम.)राजस्थान, जयपुर
- 6 प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक—मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीन जनाना/महिला चिकित्सालयों में इसकी प्रति भेजकर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
- 7 निजी सहायक, जिला कलेक्टर — समस्त जिले
- 8 निजी सहायक, निदेशक जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एडस/आई.ई.सी.
- 9 अतिरिक्त निदेशक, एन.आर.एच.एम./आर.एच./आर.सी.एच. मुख्यालय, जयपुर
- 10 अतिरिक्त निदेशक, (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय, जयपुर
- 11 संयुक्त निदेशक (आर.सी.एच.) मुख्यालय, जयपुर
- 12 संयुक्त निदेशक जोन— जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर
- 13 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, अपने अधीनस्थ सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिशा निर्देश भिजवाना सुनिश्चित करावें।
- 14 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल— समस्त जिले
- 15 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट अस्पताल, समस्त
- 16 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
- 17 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले
- 18 समस्त गैर सरकारी संगठन

Mr. N. S. Jaiswal
राज्य नोडल अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा

निर्देश

१५

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में जननी सुरक्षा योजना सितम्बर 2005 से चल रही है।
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण का पंजीयन, प्रसवपूर्व उचित देखरेख व अस्पतालों में प्रसवों को बढ़ावा देकर जच्छा व बच्छा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3. इस योजना के अन्तर्गत महिला को गर्भवती होते ही अपना पंजीकरण गांव/शहर की चयनित आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी केन्द्र, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर करवा कर जच्छा बच्छा व जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए।
4. गर्भवती महिला को गर्भावस्था में कम से कम तीन बार चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) से प्रसव पूर्व जाँच करवा लेनी चाहिए। इसी दौरान प्रसव हेतु अस्पताल व परिवहन सेवा का भी चिन्हिकरण कर लेना चाहिए।
5. घनुषबाय खतरनाक रोग है जो माता एवं बच्चे दोनों के लिए प्राणघातक हो सकता है। अतः पंजीकरण के समय एवं एक माह बाद टिटेनस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए।
6. चिकित्सक/ स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताये अनुसार आयरन फोलेट की एक गोली नियमित रूप से भोजन पश्चात 100 दिन तक खानी चाहिए।
7. योजना के वर्तमान स्वरूप में संस्थागत प्रसव कराने वाली हर वर्ग की गर्भवती महिला को जिल्लीय सहायता प्रदान की जा रही है। उम्र एवं बच्चों की संख्या की तभान बन्दिशों को हटा दिया गया है।
8. प्रसूता के आगमन/पंजीकरण के पश्चात् अस्पतालों एवं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर तत्काल नगद भुगतान की व्यवस्था राज्य में कर दी गई है ताकि भुगतान के लिए लाभान्वितों को दुबारा नहीं आना पड़े। भुगतान, प्रसव तिथी से 7 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से करना होगा अन्यथा भुगतान अवैध माना जावेगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जनटोइड फण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी के खातों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है जिसका पुनर्भरण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जावेगा। जसुयो रजिस्टर में भुगतान का इन्द्राज कर, जच्छा – बच्छा कार्ड एवं जसुयो कार्ड पर साझि अंकित कर लिखना होगा – प्रसव पश्चात (₹.1400 / 1000) भुगतान कर दिया गया है।

9. ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का सरकारी संस्थान में प्रसव सहायता पैकेज़:

	माता हेतु सहायता पैकेज	* आशा—सहयोगिनी हेतु पैकेज (रेफरल परिवहन + प्रोत्साहन राशि)	योग
सभी वर्गों की प्रसूताएँ	1400 रुपये	600रुपये (400+200) रुपये	2000 रुपये

नोट: 1. अस्पतालों के जनरल वार्ड में भर्ती प्रसूता माताओं को ही वित्तीय सहायता देय होगी।

2. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में देय होगी।

* जिन क्षेत्रों में आशा का चयन नहीं हुआ है वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/जनमंगल जोड़े को उपरोक्त लाभ देय होगा।

10. शहरी क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का सरकारी संस्थान में प्रसव सहायता पैकेज़:

	माता हेतु सहायता पैकेज	* आशा—सहयोगिनी हेतु पैकेज (प्रोत्साहन राशि)	योग
सभी वर्गों की प्रसूताएँ	1000 रुपये	200रुपये	1200 रुपये

नोट: 1. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में देय होगी। दोनों ही किश्तें उसी प्रसव संस्थान पर देय होगी जहां आशा ने प्रसूता का पंजीकरण, प्रसव यूर्ज एवं प्रसवोत्तर जांचे करायी।

सभी वर्गों की प्रसूता महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर रु. 1000/- देय होगे। शहरी क्षेत्र की निवासीनी प्रसूता अथवा आशा को शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रेफरल परिवहन सुविधा देय नहीं होगी। प्रसूता के सन्दर्भ में आशा को प्रोत्साहन हेतु रु 200/- देय होगें।

* जिन क्षेत्रों में आशा का चयन नहीं हुआ है वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपरोक्त लाभ देय होगा।

11. समर्त सरकारी संस्थानों में होने वाले प्रसव सहायता पैकेज़:

1. सभी वर्गों की प्रसूताओं को प्रसव पश्चात भुगतान। विशेष परिस्थितियों में भुगतान की अन्तिम समय सीमा 7 दिवस रहेगी।

- प्रसूता के ग्रामीण क्षेत्र की निवासीनी होने पर रु.1400/- एवं शहरी होने पर रु. 1000/- प्रसव हेतु दिये जायेगे। प्रसूता के अपने मूल निवास क्षेत्र के अलावा अन्यत्र संस्थान (ग्रामीण / शहरी) पर प्रसव कराने की स्थिति में उसे अपने क्षेत्र की प्रसाविका से रेफरल पर्ची लानी होगी। रेफरल पर्ची के साथ जच्छा-बच्छा एवं जसुयो कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।
- रेफरल परिवहन सुविधा सभी ग्रामीण कार्डधारी प्रसूताओं को देय होगी। यहां कार्ड से अभिप्राय जच्छा बच्छा— जननी सुरक्षा योजना कार्ड से है जिसे आवश्यक रूप से संस्था पर दिखाना होगा। आशा सहयोगिनी इसका प्रबन्ध अग्रिम तौर पर प्रसव पूर्व करेगी जिसके लिये योजना में 600/- रु. का प्रावधान रखा गया है। यदि प्रसूता, आशा के बिना संस्थान पर चली जाती है तो भी उसे रु. 300/- का लाभ प्रसव संस्थान पर देय होगा।
- प्रसव के बाद किसी भी वर्ग की महिला अथवा उसका पति अगर नस्बन्दी करवा लेते हैं तो तत्काल प्रोत्साहन राशि यानि रु 450/500 भी तत्काल देय होगी।

12. घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज़:

- घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रु. 500/- देय होगा। केवल बी.पी.एल. कार्डधारी प्रसूताएँ ही इसका लाभ उठा सकेगी। प्रसूता को वित्तीय लाभ देने से पूर्व प्रसाविका तीन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तस्दीक करेगी—
 - (1) उम्र 19 वर्ष या अधिक होने
 - (2) बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
 - (3) मृत शिशु के उत्पन्न होने पर भी सहायता देय होगी किन्तु केवल दो जीवित जन्मों तक ही लाभ देय होगा।

13. प्रसूता के मूल निवास से अन्यत्र प्रसव कराने सम्बन्धी अर्हताएँ:

अन्यत्र स्थान : पिहर (पिता का घर) / अन्य निवास स्थान / अन्य स्थान

प्रसव का स्थान सरकारी / निजी संस्थान में अथवा घरेलू हान वर्त आवश्यक रूप से प्रसूता को अपने क्षेत्र की प्रसाविका से रेफरल पर्ची के साथ जच्छा बच्छा कार्ड एवं जसुयो कार्ड लाना होगा। इसके अभाव में उसको भुगतान नहीं किया जावेगा।

14 आशा सहयोगिनी का सहायता पैकेज़:-

1. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त रु 500/- की जिसमें 400 रेफरल परिवहन एवं रु 100/- उसकी प्रोत्साहन राशि होगी जिसका भुगतान सरकारी संस्थान पर तत्समय किया जावेगा। इसका इन्द्राज संस्थान के जसुयो रजिस्टर में किया जावेगा।
2. दूसरी किश्त रु. 100/- की होगी जो 2 प्रसवोत्तर जाँच व शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात देय होगी। इस भुगतान का इन्द्राज प्रसाविका अपनी पंजिका में करेगी।
3. आशा अपनी दैनिक डायरी में प्रसूता को दी गई सेवाएँ एवं प्राप्त की गई राशि को इन्द्राज करेगी।
4. किसी भी कारणवश यदि आशा प्रसूता के साथ संस्था पर प्रसव कराने हेतु नहीं जा पाती है तो भी रु. 200/- दो किश्तों में देय होगे। प्रथम किश्त रु. 100/- प्रसव पूर्व जॉचों के लिए एवं द्वितीय किश्त रु. 100/- प्रसवोत्तर जाँचों एवं शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात अपने क्षेत्र की प्रसाविका द्वारा देय होगी जिसका इन्द्राज वह अपनी पंजिका में करेगी।

15. सिजेरियन छेदन/जटिल प्रसव हेतु विशेषज्ञ सेवाएँ :

1. जिन सरकारी संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं वे संस्थान निजी चिकित्सालयों /विशेषज्ञों से विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु रु 1500/- तक का भुगतान कर सकते हैं इन सेवाओं में शल्य चिकित्सक/स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतन विशेषज्ञ की सेवायें शामिल हैं। यह लाभ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही निजी संस्थानों/विशेषज्ञों को देय होगा।
2. सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सेवायें लिये जाने पर उन्हें रु. 500/- दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि विशेषज्ञों को अपने पदस्थापन स्थान पर सेवायें देने हेतु नहीं दी जायेगी। गुरुद्वा चिकित्सक एवं स्पार्टन अधिकारी ऐसे विशेषज्ञों की सूची तैयार करेंगे।

- 16 संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने क्षेत्र में जसुयो के तहत सूचीबद्ध विशेषज्ञों एवं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची तैयार करवायेगे। जिलों में उपलब्ध निजी चिकित्सालयों में केवल उपखण्ड एवं ब्लाक स्टर पर ही मान्यता दी जानी है जिला स्तर पर किसी निजी चिकित्सालय को जसुयो के तहत मान्यता नहीं दी जानी है सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सूची लगावाना सुनिश्चित करायेंगे ताकि हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (प्रसाविका/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी) एवं प्रसूता को प्रसव पूर्व यह जानकारी उपलब्ध रहे।
- 17 समस्त जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों जो एन.आर.एच.एम के अधीन हैं, के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है यही तत्र जसुयो पहल का भी ध्यान रखेगा। जिला स्वास्थ्य मिशन इस प्रयोजन हेतु एक नोडल अधिकारी अभिज्ञात करेंगे जो कि जिले में स्थापित क्रियान्वयन का अंग नहीं है। इस नोडल अधिकारी का नाम मय टेलिफोन नम्बर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी केन्द्रों पर एवं प्रमुख स्थान जैसे पंचायत भवन, सरकारी भवनों इत्यादि पर प्रदर्शित किये जाने चाहियें।


 (शुभा सिंह)
 शासन सचिव (प.क.) एवं
 मिशन निदेशक (राज्यालयमिशन)